प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26/12/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी खाता सं. 197 नई 185 संवत 2072-75 के ख.सं. 598 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा मे से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम जमीतपुरा पर इन्द्राज खातेदार प्रतिवादीगण लगायत 6 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। निर्णय शा. मि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0 56/दावा/2019 | तारीख दायरा 24.05.2019 | तारीख फैसला 26.12.2025

1. श्री कमरूदीन पि0 चांद खा जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
2. श्री जमाल मोहम्मद पि0 चांद खा जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
3. श्री निजामुदीन पि0 चांद खा जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
4. श्री मोहम्मद हुसैन पि0 चांद खा जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
5. जाहिद हुसैन पि0 अल्लानूर जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
6. जाकिर हुसैन पि0 अल्लानूर जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।

वादीगण

बनाम

1. नबीमोहम्मद पि0 नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
2. ईसाक मोहम्मद पि0 नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
3. जाकिर हुसैन पि0 नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
4. भूली बेवा हकीम जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
5. अब्दुल हक पि0 स्व0 हकीम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता भूली बाई बेवा स्व0 हकीम नि0 जमीतपुरा।
6. शिफाउल हक पि0 स्व0 हकीम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता भूली बाई बेवा स्व0 हकीम नि0 जमीतपुरा।
7. रिजवाना पि0 स्व0 हकीम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता भूली बाई बेवा स्व0 हकीम नि0 जमीतपुरा।
8. रेशमा पि0 स्व0 हकीम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता भूली बाई बेवा स्व0 हकीम नि0 जमीतपुरा।
9. जमीला बानो पत्नि निसार मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
10. बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा तोलडा जिला बून्दी।
11. राजस्थान सरकार तहसीलदार साहब तालेडा जिला बून्दी।
12. राजस्थान सरकार उप पंजीयक महोदय तालेडा जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता वादी :– श्री रामकुमार दाधीच
अधिवक्ता प्रतिवादी :–

– : : निर्णय : : –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 188 व 53 आर.टी. एक्ट

वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 188 व 53 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खं0 सं0 582 रकबा 0.09 बिस्वा , खं0 सं0 598 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खं0 सं0 728 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खं0 सं0 729 रकबा 0 बीघा 15 बिस्वा, खं0 सं0 737 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, खं0 सं0 742 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खं0 सं0 767 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 7 कुल 15 बीघा 19 बिस्वा जमाबन्दी संवत् 2072–75 की खतोनी सं0 नई 197 व पुरानी 185 वाके ग्राम जमीतपुरा पटवार हल्का जमीतपुरा में विस्थित है जो कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 की खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज नूरमोहम्मद आ0 छोटे खां की खातेदारी में चली आ रही थी। उनके देहान्त के पश्चात प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। पूर्व खातेदार नूरमोहम्मद आ0 छोटे खां द्वारा भूमि खं0 सं0 598 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा जिसके गत बंदोबस्ती खं0 सं0 368/1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि रतन लाल महाजन व रुघा गुर्जर के खेत के सामने की भूमि को 275 रूपये में रजिस्टर विक्रय पत्र से अकबर खां आ0 मीरखां जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा के दिनांक 29.02.1960 को गवाहो के समक्ष रजिस्टार तालेडा के यहा पंजीयन करवा दिया था। जिसकी नकल रजिस्टर नं0 2 क–22 पेज नं0 91–92 पर रखी जाकर असल बयनामा अकबर खां को सुपुर्द कर दिया तब से उक्त भूमि पर अकबर खां काबिज काश्त रहे एवं अकबर खां की मृत्यु के पश्चात अकबर खां के पुत्र चांद खां व अल्लानूर काबिज काश्त रहे एवं चांद खां व अल्लानूर की मृत्यु पश्चात

ीगण 1 लगायत 6 काबिज काश्त है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का विक्रय के पश्चात से ही कभी ना तो ा काश्त रहा ना ही कोई हक अधिकार रहा है। किन्तु उक्त भूमि का वादीगण के पूर्वज अकबर खां द्वारा क्रय करने के पश्चात राजस्व रिकोर्ड में तत्समय क्रेता का नाम दर्ज होने से रह गया जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये प्रतिवादीगण ने भूमि खं0 सं0 598 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा पर रहन बतोर रखकर ऋण प्राप्त कर लिया है एवं दिनांक 08.04.2019 को वादीगण को धमकी भी देकर गये कि उक्त भूमि हमारे नाम होने से हम उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान कर कब्जा सुपुर्द करेगें। यही वाद कारण है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि भूमि खं0 सं0 598 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा में से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि को अपने नाम करवाये एवं पृथक से स्वतंत्र रूप सें बटवारें में प्राप्त कर खातेदारी में अंकित करावें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध करावे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री फरमायी जावे की वाद वर्णित आराजी खं0 सं0 598 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा में से 2 बीघा 15 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज खातेदार प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर नया नं0 कायम किया जावे। तरमीम की जावे, पृथक से लगान कायम किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी प्रस्तुत कर सलंग्न दस्तावेज, जमाबन्दी संवत् 2072–75 खा0 सं0 197 ग्राम जमीतपुरा प्रदर्श–1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028–47 प्रदर्श–3, जमाबन्दी संवत् 2022–25 खाता सं0 86 प्रदर्श–4, बयनामा दिनांक 29.02.1960 प्रदर्श–5, उपखण्ड अधिकारी बून्दी का वाद सं0 93/09 की आदेशिका प्रदर्श–6, उपखण्ड अधिकारी बून्दी का वाद सं0 93/09 के वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श–7, जवाब दावा प्रतिवादीगण उपखण्ड अधिकारी बून्दी प्रदर्श–8 प्रस्तुत किये गये।

बहस एकपक्षीय वकीलवादी सुनी गयी। वकीलवादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री फरमायी जावे की वाद वर्णित आराजी खं0 सं0 598 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा में से 2 बीघा 15 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज खातेदार प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर नया नं0 कायम किया जावे। तरमीम की जावे, पृथक से लगान कायम किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादीगण के पूर्वज अकबर खां वल्द मीर खां ने प्रतिवादीगण के पूर्वज नूरमोहम्मद आ0 छोटे खां से दिनांक 29.02.1960 को जर्ये रजिस्टर विक्रय पत्र भूमि खं0 सं0 368/1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम जमीतपुरा में से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि 275 रूपये विक्रय राशि अदा कर क्रय की गयी जो प्रदर्श–5 से प्रमाणित है जिसका वर्तमान खं0 सं0 598 प्रदर्श–3 अनुसार है। किन्तु वादीगण के पूर्वजो द्वारा तत्समय उक्त आराजी के विक्रय पत्र का राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं होने से वाद वर्णित आराजी प्रतिवादीगण के खातेदारी दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। वाद वर्णित आराजी के संबंध में प्रतिवादीगण को भंलीभांती जानकारी होना प्रदर्श–6 से प्रमाणित है। उक्त के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज का अवलोकन करने से भी वाद वर्णित तथ्य प्रमाणित होते है अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि वाद वर्णित आराजी खाता सं0 197 नई 185 पुरानी संवत् 2072–75 के खं0 सं0 598 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा में से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम जमीतपुरा पर इन्द्राज खातेदार प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त इन्द्राज कर वादीगण का खाता पृथक किया जावे। बैंक रहन खं0 सं0 598 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा में से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम जमीतपुरा को छोडकर प्रतिवादीगण की शेष भूमि पर दर्ज हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।

इजलास मनस्वी नरेश , आर0ए0एस0

1. श्री कमरूदीन पि0 चांद खा जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
2. श्री जमाल मोहम्मद पि0 चांद खा जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
3. श्री निजामुदीन पि0 चांद खा जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
4. श्री मोहम्मद हुसैन पि0 चांद खा जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
5. जाहिद हुसैन पि0 अल्लानूर जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
6. जाकिर हुसैन पि0 अल्लानूर जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।

वादीगण

बनाम

1. नबीमोहम्मद पि0 नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
2. ईसाक मोहम्मद पि0 नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
3. जाकिर हुसैन पि0 नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
4. भूली बेवा हकीम जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
5. अब्दुल हक पि0 स्व0 हकीम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता भूली बाई बेवा स्व0 हकीम नि0 जमीतपुरा।
6. शिफाउल हक पि0 स्व0 हकीम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता भूली बाई बेवा स्व0 हकीम नि0 जमीतपुरा।
7. रिजवाना पि0 स्व0 हकीम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता भूली बाई बेवा स्व0 हकीम नि0 जमीतपुरा।
8. रेशमा पि0 स्व0 हकीम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता भूली बाई बेवा स्व0 हकीम नि0 जमीतपुरा।
9. जमीला बानो पत्नि निसार मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा।
10. बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा तोलडा जिला बून्दी।
11. राजस्थान सरकार तहसीलदार साहब तालेडा जिला बून्दी।
12. राजस्थान सरकार उप पंजीयक महोदय तालेडा जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

<u>अन्तर्गत धारा 88,89,188 व 53 आर.टी.एक्ट</u>

56/दावा/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री राम कुमार दाधीच एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वाद वर्णित आराजी खाता सं0 197 नई 185 पुरानी संवत् 2072–75 के खं0 सं0 598 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा में से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम जमीतपुरा पर इन्द्राज खातेदार प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त इन्द्राज कर वादीगण का खाता पृथक किया जावे। बैंक रहन खं0 सं0 598 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा में से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम जमीतपुरा को छोडकर प्रतिवादीगण की शेष भूमि पर दर्ज हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

नीज............................ मुबलिक............................... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह....................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान					

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 26 माह 12 वर्ष 2025 को जारी की गई।

मोहर

(मनस्वी नरेश)

उपखण्ड अधिकारी

तालेडा